

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल शिफ्टकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

ज-1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 987 दिनांक 19/03/2019
 प्रार्थी जगदीश शंकर चौधरी राजराज खंड गोपी केशव शंती विभागा
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 मूरकड सं. 23/A खसरा नं
 94 (7) (घ) के तहत आवासीय 715/61 ग्राह जोधपुर शी
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश की टाही
 कर स्वनिर्धारण कर रुपये RS-19167/- (एक
 जरिये रसीद संख्या 1005/8265/8264
 दिनांक 27/03/2019 को जमा करा दी हैं।

Y. S. K.
 प्रारूपकार
 नगर निगम, जोधपुर

P. K. S.
~~1/4/19~~
 1/4/19